बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–06 / विविध–11 / 2016

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, यातायात, बिहार।

विषय :– गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाये जाने के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र संख्या–3020 दिनांक–08.06.2017 के अनुक्रम में पुनः निर्देश जारी किए जाने के संबंध में।

महाशय,

परिवहन यानों की तेज गति को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–290 (अ) दिनांक–15.04.2015 तथा अधिसूचना संख्या–424 (अ) दिनांक–01. 05.2017 में 1 अक्टूबर 2015 के पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों में गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाया जाना आवश्यक किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित "कमेटी ऑन रोड सेफ्टी" के पत्र क्रमांक एफ015 / 2016 / Cors दिनांक–11.04.2017 द्वारा गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–3020 दिनांक–08.06.2017 के अनुक्रम में पुनः दिशा–निर्देश जारी किए गये है जो निम्नवत है :–

1. प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–126 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेन्सी से गति नियंत्रक उपकरण (SLD) का टाईप एप्रुवल कराया जाना आवश्यक होगा।

2. गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय से प्रत्येक वाहन के वेरिएंट के लिए टाईप एप्रुवड (SLD) का मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है।

3. गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता कम्पनी द्वारा मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट के आवेदन के समय प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा निर्मित गति नियंत्रक उपकरण (SLD) के संबंध में पेटेंट एक्ट / कॉपी राईट एक्ट / ट्रेडमार्क एक्ट के उल्लंघन के लिए न तो वह दोषसिद्व किया गया हैं। न ही उस पर इस विषय में कोई मुकदमा दर्ज है और न ही कोई जाँच लंबित हैं। यदि गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा कोई गलत, दूषित या तथ्यो को छुपाकर कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो राज्य परिवहन आयुक्त को ऐसे विनिर्माता की गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाने के लिए जारी मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा।

535 JF:/SEC-6/S.K/Pollution

4. 'मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट के आवेदन के समय प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को केन्द्रीय मोटरयान नियम–1989 के नियम–126 के अन्तर्गत प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा जारी वैध टाइप एप्रुवल सर्टिफिकेट तथा कन्फर्मेटी ऑफ प्रोडक्शन (COP) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही गति नियंत्रक उपकरणो की सूची मय टेस्ट रिपोर्ट नम्बर एवं वाहन मॉडल (वेरिएंट) जिसके लिए उपकरण एप्रुवड किया गया है, हार्डकॉपी तथा Excel Format में सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

5. मॉडल एप्रुवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत विनिर्माता द्वारा जिला स्तर पर अधिकृत डीलर नियुक्त किये जायेंगे।

6. विनिर्माता द्वारा अधिकृत प्रत्येक डीलर को केन्द्रीय मोटरयान नियम–1989 के नियम–35 के अन्तर्गत उस परिवहन कार्यालय से व्यवसाय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके क्षेत्रान्तर्गत वह गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता के प्रतिनिधि के रूप में वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाने का कार्य करेगा। यदि एक ही व्यक्ति पृथक–पृथक विनिर्माता द्वारा डीलर नियुक्त किया जाता है, तो प्रत्येक विनिर्माता के अधिकृत डीलर के रूप में कार्य करने हेतु अलग–अलग व्यवसाय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक ही व्यवसाय प्रमाण–पत्र पर भिन्न–भिन्न विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर के रूप में कार्य नहीं किया जाएगा।

7. प्रत्येक अनुमति प्राप्त गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता कम्पनी को पटना में स्थायी कार्यालय रखना होगा एवम् अपने अधिकृत Distributer एवं Dealer की सूची पूर्ण पत्ता (ई0–मेल एवं मोबाईल नम्बर के साथ) मुख्यालय को समर्पित करना होगा। साथ ही Distributer एवं Dealer को हटाने एवं नए की नियुक्ति के संबंध में परिवहन विभाग (मुख्यालय) को सूचना देना अनिवार्य होगा।

8. विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा परिवहन यान के मॉडल (वेरिएंट) अनुसार टाईप एप्रुवड गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में दूसरे मॉडल (वेरिएंट) का उपकरण लगाया जाना वर्जित होगा।

9. विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) पर वाहन का पंजीयन क्रमांक उत्कीर्ण किया जाएगा।

10. विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) को वाहन में लगाये जाने के पश्चात् रोटो सील द्वारा सील किया जाएगा।

11. विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा वाहन पर लगाये गये प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD)/फिटमेंट सर्टिफीकेट पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर देना होगा, जो इस प्रकार के फार्मेट में होगा :– BM/DTO Code (2 Digit Number)/Manufacture Code (2 Digit Number)/Dealer Code (3 Digit Number) DTO Code की जानकारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

12. 'विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा वाहन पर SLD लगाने के उपरांत ऑनलाईन जनरेटेड फिटमेंट सर्टिफिकेट पर निम्नांकित जानकारी उल्लेखित करना अनिवार्य होगा :–

- गति नियंत्रक उपकरण (SLD) के विनिर्माता का नाम
- अधिकृत डीलर का नाम
- व्यवसाय प्रमाण–पत्र क्रमांक
- व्यवसाय प्रमाण–पत्र वैधता की तिथि
- व्यवसाय प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम
- गति नियंत्रक उपकरण (SLD) का यूनिक आई–डी नम्बर
- वाहन क्रमांक
- वाहन का वर्ग
- वाहन का मॉडल (वेरिएंट)
- वाहन का चेचिस क्रमांक
- वाहन का इंजन क्रमांक
- टाइप एप्रुवल सर्टिफिकेट क्रमांक
- कंफर्मेटी ऑफ प्रोडक्ट (COP) प्रमाण–पत्र वैधता दिनांक
- गति नियंत्रक यंत्र का टेस्ट रिपोर्ट नम्बर
- गति नियंत्रक उपकरण (SLD) में फीड की गयी स्पीड लिमिट
- गति नियंत्रक उपकरण (SLD) फिटमेंट की तिथि
- रोटो सील क्रमांक
- सर्टिफिकेट पर क्यू0आर0 कोड का अंकन एवं
- उक्त जानाकारी Excel Format में परिवहन विभाग मुख्यालय, बिहार, पटना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजना होगा।

13. विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा वाहन पर गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाये जाने के उपरांत फिटमेंट सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा।

14. प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) विनिर्माता को जब तक Morth द्वारा Comman Portal तैयार नहीं हो जाता स्वयं का सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा तथा इसका एक्सेस परिवहन विभाग, मुख्यालय को प्रदान करना अनिवार्य होगा। सॉफ्टवेयर में निम्नांकित विशेषताये होनी चाहिए :–

- सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था हो कि परिवहन यान के मॉडल (वेरिएंट) अनुसार टाईप एप्रुवड गति नियंत्रक उपकरण (SLD) ही लगे, दूसरे मॉडल (वेरिएंट) का नहीं लग सके।
- प्रत्येक गति नियंत्रक उपकरण (SLD) की प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सके।
- एक ही गति नियंत्रक उपकरण (SLD) का भिन्न–भिन्न वाहनों पर लगाये जाने पर स्वतः रोक हो।

- वाहन पंजीयन क्रमांक, चेचिस क्रमांक, (SLD) सीरियल नम्बर के आधार पर रियल टाईम (SLD) फिटमेंट डिटेल उपलब्ध हो।
- ग्राहको को गति नियंत्रक उपकरण (SLD) फिटमेंट की सूचना SMS द्वारा स्वतः प्राप्त हो।
- SLD फिटमेंट डिटेल की विस्तृत मासिक रिपोर्ट वाहन डिटेल, SLD डिटेल, टाइप एप्रुवल, व्यवसाय प्रमाण–पत्र डिटेल इत्यादि के साथ जनरेट हो सके।

15. शिक्षण संस्थान के वाहनों में 40 किमी/घंटा की अधिक्तम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक उपकरण लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

16. वाहनो के फिटेनेश प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व अधिकृत प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधिमान गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगा हो, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे की जिस परिवहन यान हेतु मॉडल (वैरिएंट) का टाईप एप्रुवड है। उसी यान में उसे लगाया जाय।

17. वाहन में लगे गति नियंत्रक उपकरण (SLD) में छेड़छाड़ पायी जाती है तो वाहन को फिटनेश प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। ऐसे मोटरयानो के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–53 के तहत निलंबन की कार्रवाई की जाए।

18. परिवहन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–3020 दिनांक–08.06.2017 का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

19. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी वाहनों पर (SLD) लगाने के उपरांत निर्गत फिटमेंट प्रमाण–पत्र की इन्ट्री नियमित रूप से वाहन 4.0 में करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिए गए न्यायादेश/आदेश/दिशा निदेश के अनुरूप प्रभावी होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 4214 पटना, दिनांक :– 2/7/18

प्रतिलिपि :–सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी परिवहन विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/M/s GRL ENGINEERS. Plot No.-31, I.D.C. Ind, Area, OP Jindal Marg, Hisar-125005 (Hry)./M/s SYN AUTO SOLUTIONS PVT. LTD. Shop No.-81, First Floor, New Anaj Mandi, Gurgaon, Haryana-122001./M/s 3 GB TECHNOLOGY PVT. LTD. B-69, Dinesh Plaza, 22 Godam Industrial Area, Road No.-4, Jaipur-302006./M/s ECOGAS IMPAX PVT. LTD. Plot No.-43, Shed No.-5, DLF Industrial Area Phase-I, Faridabad, Haryana-121003 (India)./M/s MIJO AUTO GAS PVT. LTD. S-

110, Phase-1, Badli Industrial Area, Delhi-110042 (India)./M/s DIGILA DEVICES INDIA PVT. LTD. N.H.-212, Industrial Layout, Near Govt. Technical School, Sultan Bathery, North Kerala-673592./M/s CONVERTZ TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD. Plot No.-794, #37-18/28, Rajya Lakshmi Complex, 1st floor, Defence Colony, Sainikpuri, Secunderabad-500094./M/s AUTOGRADE INTERNATIONAL PVT. LTD. 35/334 Mamangalam Church Road, Palarivattom, Kochi-682025./M/s MICRO AUTOTECH. Plot No.-26, Sector-3, HSIIDC, IMT-Manesar, Gurgaon-122050, Haryana (India)./M/s ROSMERTA AUTOTECH PVT. LTD. Khasra No.-19/28, Kapashera, New Delhi-110037./M/s PROMARK TECHNOLOGIES PVT. LTD. Plot No.-42 1/2, Industrial Area, Sector-1, Parwanoo-173220, Dist.-Solan, Himachal Pradesh, India./M/s HOVEL SCALES & SYSTEMS. A-120, Jhilmil Flatted Factory Complex, Shahdara, Delhi-110031./M/s PRICOL LIMITED-COIMBATORE. CPM Towers, 109, Race Course, Coimbatore-641018 (India)./M/s DELTA INDIA AUTOMOBILES. #4, Sector-21A, Faridabad-121001 (Haryana)./M/s ADVANTEK FUEL SYSTEMS PVT. LTD. 4/M/s 31, Site-IV, Indi, Area, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201010./M/s SATYASAI TRAN-SYSTEMS PVT. LTD. #5-5-35/276A, Plot No.-276A, Shakthipuram, Prashanthi Nagar, Kukatpally, Hyderabad-72./M/s TASVA AUTOMOTIVE. PVT. LTD. 2/77, 1st Floor, Arjun Gali, Kunti Marg, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032./M/s CRAYSOL TECHNOLOGIES (INDIA) PVT. LTD. Craysol Building, XVIII/49B, Cochin University Road, Cusat P.O., Kalamassery, Kochi-682022, Kerala. Ph.-0484-2557183./M/s GODAWARI TECHNO SOLUTION. PVT. LTD. F.A-Jhalra Road, Kuchaman City, Nagaur-341508, Rajasthan, India/ABHAVIS TECHNOLOGY PVT. LTD. 1st Floor, Sahu Plaza, Hanuman Ganj, Katni (M.P.) 483501./M/s TEDI INDIA. 14A/33, Jubilee Road, West Mambalam, Chenni-600033, Tamilnadu, India./M/s AVANTIKA ELCON PVT. LTD. 201, Composite House, 170 Prajapat Nagar, Opp:B-4 Gulmohar Park, New Delhi-110049/M/s AEROTIC INDIA PVT. LTD. A 36/3, First Floor, Naraina Industrial Area Phase I, Near PVR Naraina, New Delhi-110028/M/s ZIP COUNT ELECTRONICS PVT. LTD. A-77 3rd Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052/M/s RIDAUS AUTO COMPONENTS PVT. LTD. 2nd Milestone, Vikas Nagar, Basai Road, Gurgaon-122001. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.06.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।